न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 33 / 2021

अधिवक्ता गिर्राजसिंह सोलंकी कोर्ट परिसर, रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रूपवास

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 28.04.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट अधिवक्ता गिर्राजसिंह सोलंकी कोर्ट परिसर, रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 301 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से उनके पत्र कमांक 465 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी, रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने जबाब पत्र कमांक 465 दिनांक 19.04.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपवास को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी रूपवास से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी पं0स0 रूपवास को अन्तरित करते हुए पत्रांक 287–88 दिनांक 23.02.2021 से अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु विकास अधिकारी पं0 स0 रूपवास के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। उपखण्ड अधिकारी रूपवास के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर